जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 44 संख्याः 105 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 10 नवम्बर, 2022 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

मौसम दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, लम्बे समय तक लू चलना और सूखा पड़ने जैसी घटनाएं बदतर होती जा रही हैं जिससे जानवर अलग-अलग तरह से प्रभावित हो रहे हैं। एक नए शोध में सामने आया है कि, जानवरों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनका इस बात पर गहरा असर होता है कि वो जानवर सरवाइव कैसे करते हैं। शोधकर्ता, युनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डैनमार्क के ओवैन जोन्स और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि, हर वर्ष बदलते मौसम का प्रजातियों की आबादी पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने विश्वभर की 157 स्तनपायी प्रजातियों की आबादी में आए उतार-चढ़ाव का अध्ययन किया। उसके बाद इस डेटा की तुलना उस समय के मौसम और जलवायु के डेटा से की जब ये सूचनाएं एकत्रित की गईं थीं। विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने पाया कि, मौसम के बदलाव के प्रति जानवरों की प्रतिक्रिया का सम्बंध उनकी कुछ सामान्य विशेषताओं व लक्षणों से था। लम्बे जीने वाले जीव, जिनकी संतानें कम होती हैं, वे उन छोटे जानवरों की तुलना में मौसम के बदलाव को आसानी से सहन कर लेते हैं, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। बड़े जानवर जैसे भालू, हाथी, अपनी ऊर्जा एक ही बच्चे पर खर्च करते हैं और दूसरी संतान को जन्म देने के लिए बेहतर हालात की प्रतीक्षा करते हैं। छोटे, कम आयु वाले जानवर, जैसे चूहे आदि, में यह खासियत नहीं होती। अगर सूखा लम्बी अवधि तक चलता है तो इन जानवरों के लिए भोजन का संकट पैदा हो जाता है। इनके पास शरीर में चर्बी का संग्रहण भी नहीं होता, जिसके आधार पर ये मौसम की चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ स्तनपायी मौसम की चुनौतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इनमें प्रमुख हैं कैनेडियन लैमिंग (चूहे की एक प्रजाति) आर्कटिक फॉक्स, कॉमन श्रू (चूहे की प्रजाति) व चूहे की कई अन्य प्रजातियां। वहीं, कई जानवरों पर मौसम की चुनौतियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे, अफ्रीकन हाथी, साइबेरियन टाईगर, चिम्पैंज़ी, चित्र में नज़र आ रहा वाइट राइनॉसरस, अमेरिकन बाइसन आदि। ये नतीजे जर्नल ईलाइफ में छपे हैं।

गहलोत इतने गैर-गंभीर क्यों हैं गुजरात चुनाव के बारे में?

गहलोत गुजरात के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, पर उनका रवैया आँख मिचौली खेलने जैसा ही है, गुजरात चुनाव के बारे में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरा-

नई दिल्ली, 9 नवम्बर। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत गुजरात विधानसभा चुनावों में आँखमिचौली खेल रहे हैं, जहाँ उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

गहलोत की तुलना में, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल तथा सचिन पायलट जैसे पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में डेरा डाले हुये हैं तथा अपनी पूरी ऊर्जा पार्टी कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को सक्रिय एवं गतिशील बनाने में लगा रहे हैं।

वहीं अशोक गहलोत जब भी गुजरात जाते है तो कुछ घंटे ही अहमदाबाद में रहते हैं। वे न तो वहाँ यथेष्ट समय दे रहे हैं और न पूरी तरह एकाग्रचित एवं केन्द्रित होकर काम कर रहे हैं।

यह बात समझ में आने योग्य है कि गहलोत बहुत तनाव में हैं तथा वे अपने स्वयं के अस्तित्व को बनाये रखने तथा यह सुनिश्चित करने, कि कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी पकड़ से छिटक न जाये, के लिये लामबंदी करने के काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।

गहलोत के लिये उनके स्वयं के अस्तित्व का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- **इसकी तुलना में हिमाचल के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल व सहयोगी पर्यवेक्षक सचिन पायलट, हिमाचल में डटे हुए हैं, तथा सघन चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।**
- **स्वाभाविक ही है, गहलोत अपनी कुर्सी बचाने की चिन्ता से ग्रस्त हैं, तथा हिमाचल भी उस समय ही पहुँचे जब खड़गे भी चुनाव प्रचार के लिये हिमाचल आये हुए थे। गहलोत ने, मशोबरा में प्रियंका के घर में ठहरी हुई सोनिया गांधी से भी मुलाकात का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली।**

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान का यात्रा कार्यक्रम

दिनांक 11 नवम्बर, 2022 (शुक्रवार)

प्रातः 10.30 बजे	प्रस्थान	जयपुर	*विशेष विमान द्वारा*
प्रातः 11.30 बजे	पहुंच	जोधपुर	
दोप.12.00 बजे		• विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण समारोह, स्थान-राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, एयरफोर्स स्टेशन के पास, जोधपुर।	
सायं 04.00 बजे		• डिजिफैस्ट-जॉब फेयर एवं प्रदर्शनी का अवलोकन, स्थान-राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, रेजीडेन्सी रोड	
सायं 06.00 बजे	प्रस्थान	जोधपुर	*विशेष विमान द्वारा*
सायं 07.00 बजे	पहुंच	अहमदाबाद	

रात्रि विश्राम - अहमदाबाद

दिनांक 12 नवम्बर, 2022 (शनिवार)

• अहमदाबाद में स्थानीय कार्यक्रम

रात्रि 09.00 बजे	प्रस्थान	अहमदाबाद	*विशेष विमान द्वारा*
रात्रि 10.00 बजे	पहुंच	जोधपुर	

रात्रि विश्राम-जोधपुर

दिनांक 13 नवम्बर 2022 (रविवार)

प्रातः 11.00 बजे		• राजस्थान डिजिफैस्ट, जोधपुर 2022, स्थान- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, रेजीडेन्सी रोड	
सायं 05.00 बजे		• "माणक अलंकरण" सम्मान समारोह स्थान- बैंक्वेट हॉल, होटल चन्द्रा इम्पीरियल, पोलो ग्राउण्ड के सामने, रातानाडा	
सायं 06.30 बजे		• म्यूजिकल फाउन्टेन का लोकार्पण-मण्डोर उद्यान	
सायं 07.30 बजे	प्रस्थान	जोधपुर	*विशेष विमान द्वारा*
रात्रि 08.30 बजे	पहुंच	जयपुर	

'आज़म खान की सीट पर चुनाव कराने में आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं'

सुप्रीम कोर्ट ने इस सीट पर चुनाव कराने के नोटिफिकेशन को 72 घंटे टालने के निर्देश दिये

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 नवम्बर। चारों तरफ से घिर चुके समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान को बुधवार उस समय थोड़ी सी राहत मिली, जब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिये कि वह रामपुर सदर सीट के उपचुनावों की अधिसूचना के मुद्दे को 10 नवम्बर तक के लिये टाल दे। ज्ञातव्य है कि 2019 के एक हेट-स्पीच के मामले में आज़म खान की दोष-सिद्धि के बाद हुई उनकी डिसक्वालिफिकेशन (विधायक बने रहने की अयोग्यता) के कारण यह सीट खाली हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच ने रामपुर की अदालत को भी निर्देश दिये कि उनके कारावास पर स्टे दिये जाने की उनकी याचिका पर सुनवाई करे तथा गुरूवार को ही उसका निस्तारण कर दे। उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा खान की डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रिया इतनी तेजी से सम्पन्न किये जाने की भी सर्वोच्च न्यायालय ने आलोचना की। जब खान की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने कुछ अन्य केसों का हवाला दिया, तो उनका उल्लेख करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- **जैसा कि विदित है, आज़म खान को "हेट स्पीच" देने के आरोप में 2019 में न्यायालय से सज़ा हुई थी। सजा तय होने के बाद दूसरे ही दिन विधानसभा ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया, तथा आयोग ने चुनाव कराने की प्रतिक्रिया शुरु कर दी।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने इस जल्दबाजी को रोकने के लिये, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के लिये 72 घंटे का स्टे दिया, जिससे आज़म खान को अपने खिलाफ हुए सज़ा के आदेश के खिलाफ अपील करने का मौका मिल सके।**

दक्षिण भारत में राज्यपालों के खिलाफ विद्रोह उफान पर है

केरल में तो, मार्क्सवादी पार्टी, जो सत्ता भी संभाले हुए है, ने तंग आकर राज्यपाल का पद ही खत्म करने के लिये और दलों से बातचीत भी शुरु की है

-डा. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 नवम्बर। मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे राज्यपालों के प्रचंड दुरुपयोग को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों- केरल, तमिलनाडु तथा तेलंगाना में एक बड़े संघर्ष की स्थिति बनती जा रही है। इन राज्यों के सत्तारूढ़ इस बात से सख्त नाराज़ हैं क्योंकि राज्यपालों के दुरुपयोग से संघवाद के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है।

इन तीनों राज्य सरकारों के आरोप हैं कि उनके राज्यों के राज्यपाल "केन्द्र की कठपुतलियों" की तरह काम कर रहे हैं। इन राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण विधेयकों और कानूनों को लेकर संबंधित राज्यपालों से अनेक बार टकराव हो चुके हैं। केन्द्र द्वारा नियुक्त इन राज्यपालों के खिलाफ इन सरकारों की नाराजगी राज्यों की सरहदों को लाँघ गई है तथा सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल, पार्टी-लाइनों से परे जाकर, एकजुट होते तथा सत्तारूढ़ भाजपा से टकराने की स्थिति में आते हुये दिखाई दे रहे हैं।

केरल, तेलंगाना एवं तमिलनाडु में, सत्तारूढ़ दलों ने राज्यपालों के खिलाफ कई प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों तथा पदयात्राओं की योजनाएं बना ली हैं।

तमिलनाडु में सत्तासीन डी.एम.के. (द्रमुक) ने कल तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर हमला बोलते हुये कहा कि वे पड़ोसी राज्य की राजनीति में "अवांछित दखलंदाजी" कर रही हैं। राज्यपाल सौंदरराजन राज्यपाल बनने से पहले तमिलनाडु की वरिष्ठ भाजपा नेता थी। वे

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- **तमिलनाडू की डी.एम.के. सरकार ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि, वे विधानसभा द्वारा पारित बीस विधेयकों पर कुण्डली मार कर बैठे हैं तथा विधेयकों को कानून बनने से रोक रहे है।**
- **तमिलनाडू सरकार का तेलंगाना की राज्यपाल, तमिलिसाई सौंदरराजन, पर आरोप है कि, वे हैदराबाद में बैठकर भी डी.एम.के. सरकार के खिलाफ बयानबाजी व राजनीति करती हैं।**
- **तेलंगाना में भी राज्य सरकार व राज्यपाल सौंदरराजन के वाक् युद्ध लगातार चल रहा है। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि, तेलंगाना सरकार उन्हे विधानसभा के संयुक्त सत्र के संबोधन आदि के परम्परागत अधिकारों से वंचित कर रही है। सरकार का पलटवार है राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को आगे नहीं बढ़ने देतीं, तथा रोजमर्रा के काम काज में हस्तक्षेप करती हैं।**

खनन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे होगा

भरतपुर, 9 नवम्बर (निस)। खनिज अभियंता आर.एन. मंगल ने बताया कि खान एवं पेट्रोलियम विभाग की ओर से दिये गये निर्देशों के तहत भरतपुर जिले में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वे कराया जायेगा।

- **भरतपुर जिले में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वे करवाने का फैसला किया गया है।**

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से एक नवम्बर को जयपुर में मानसरोवर की एक फर्म मै. बंसल जियो एण्ड एनवायरो सर्विसेज को ड्रोन सर्वे के लिये अधिकृत किया गया है। फर्म के अमित कुमार बंसल

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सौम्या केस में सुनवाई टली

जयपुर, 9 नवंबर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर निगम मेयर पद से बर्खास्त मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की बैंच में बुधवार को सुनवाई के दौरान समय पूरा होने पर अदालत ने सुनवाई टाल दी। सौम्या गुर्जर ने अपनी बर्खास्तगी और उपचुनाव को चुनौती दी है।

- **सौम्या गुर्जर की याचिका पर सुनवाई अब गुरुवार को होगी। गौरतलब है कि सौम्या ने अपनी बर्खास्तगी व उपचुनाव को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की है।**

सुनवाई के दौरान सौम्या के अधिवक्ता ने गुरुवार को मेयर पद के लिए होने जा रहे मतदान का हवाला देते हुए चुनाव पर रोक लगाने की गुहार की।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

विद्याधर नगर में अतिक्रमण की बाढ़ और जे.डी.ए. की सुस्ती से तंग आकर हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए

-यादवेंन्द्र शर्मा-

जयपुर, 9 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में सीकर रोड के समीप विद्याधर नगर में दृव्यवती नदी के किनारे बने अतिक्रमणों, जो मंदिर मोड़ सर्किल तक फैले हुए हैं, को हटाये जाने के संबंध में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विष्णु कुमार टेलर की ओर से कहा गया कि विद्याधर नगर में बसी कच्ची बस्ती में ड्रग्स का धंधा किया जाता है और यहां अवैध शराब के ठेके मैरिज हॉल और गार्डन भी चालू हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीए को लताड़ा और आदेश दिये कि जेडीए सचिव जयपुर में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई करें और इस कार्रवाई से संबंधित जानकारी शपथ पत्र सहित अदालत में हर माह पेश करें। अदालत ने जेडीए को यह भी आदेश दिये कि वह लोगों के लिये हैल्प लाइन नम्बर जारी करे, जिस पर फोन कर लोग अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कर सकें। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि जेडीए एक पोर्टल भी शुरु करे, जहां पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हों और जेडीए सचिव इन शिकायतों पर जांच कर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जल्द से जल्द करें और उसके बाद कार्यवाही रिपोर्ट भी अदालत में पेश करें।

- **निर्देश के अनुसार जे.डी.ए. एक ऑनलाइन पोर्टल शुरु करेगा, जिसमें कोई भी नागरिक अतिक्रमण की शिकायत कर सकेगा।**
- **जे.डी.ए. को हैल्पलाइन नम्बर शुरु करने के आदेश भी दिए गए, जिस पर भी अतिक्रमण की शिकायत दर्ज की जा सकेगी।**
- **जे.डी.ए. के सचिव हर महीने इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ अदालत में पेश करेंगे। अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि, अगर रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो वह जे.डी.ए. अफसरों को "बुलायेंगे नहीं भेजेंगे।"**

याचिकाकर्ता विष्णु कुमार टेलर की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी के सहायक वकील योगेश टेलर अदालत में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से पैरवी कर रहे अमित कुड़ी ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाये कि उन्होंने अपनी याचिका में यह तथ्य छिपाया है कि उनके पिता और 20 अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष याचिका दायर की है कि विद्याधर नगर में मंदिर मोड़ सर्किल के पास जेम्स कॉलोनी को नियमितकरण किया जाये।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता और अन्य 20 याचिकाकर्ता सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान पी.आई.एल. के माध्यम से याचिकाकर्ता अपने भूखंड को बचाकर जेडीए से नियमितिकरण कराना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस जनहित याचिका के साथ जेम्स कॉलोनी के सभी याचिकाकर्ताओं की सभी याचिकाओं को अदालत में पेश कराने के आदेश दिये थे।

अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि नियमितिकरण करने के लिये याचिकाकर्ता के पिता ने याचिका दायर की है और उन्होंने स्वयं नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनके पिता और अन्य 20 याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी नहीं हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को जीत चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि जेडीए ट्रिब्युनल ने 2012-13 में याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि जेम्स कॉलोनी में उनके भूखंड को नियमित कर दिया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि यह सब तथ्य जानने के बावजूद जेडीए उनके पिता और जेम्स कॉलोनी के अन्य याचिकाकर्ताओं को अतिक्रमणकारियों की श्रेणी में ही देखती है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में से यह भाग कि "जेम्स कॉलोनी का नियमितिकरण कराया जाये" को हटाने को तैयार हैं, परंतु अदालत इस पूरे क्षेत्र में से अतिक्रमण हटाने और अवैध धंधों को बंद कराने पर दायर याचिका पर सुनवाई करे।

विमल चौधरी ने कहा कि जयपुर में 1982 से, जब जेडीए की स्थापना हुई थी, तब से ही लगभग 80 प्रतिशत

(शेष पृष्ठ 7 पर)